

जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)



न्यायालय परिसर हेतु स्वीकृत आचरण: महिलाओं के प्रति सम्मान और संरक्षण



यह न्यायालय परिसर में सभी संबंधित व्यक्तियों (अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी, और पक्षकार) के लिए महिलाओं के प्रति आचरण के अनिवार्य नियम निर्धारित करती है।



समानता (Equality)

- * किसी भी भेदभाव का निषेध : लिंग, जाति, धर्म, या सामाजिक/आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- * समान अवसर: सभी अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।



पेशेवर आचरण (Professional Conduct)

- * शिष्टता और मर्यादा : सभी अधिकारी, अधिवक्ता, और कर्मचारी को अत्यंत शिष्ट भाषा और मर्यादा बनाए रखनी होगी।
- * अनावश्यक टिप्पणी पर रोक: किसी भी महिला की क्षमता या गरिमा पर कोई अनुचित टिप्पणी नहीं की जाएगी।



सुरक्षा और गरिमा (Safety and Dignity)

- * उत्पीड़न पर कठोर निषेध : उत्पीड़न, अपमानजनक भाषा, या किसी भी अनुचित व्यवहार पर पूर्ण और कठोर रोक।
- * यौन उत्पीड़न रोकथाम: आंतरिक शिकायत समिति (ICC) यौन उत्पीड़न को रोकने और शिकायतों के निवारण हेतु सक्रिय रूप से कार्य करेगी।



प्रशंसनीय आचरण (Commendable Conduct)

- * सभी संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय परिसर के भीतर एक सकारात्मक, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- * महिलाओं की क्षमता और गरिमा पर हमेशा सकारात्मक और सम्मानपूर्ण रुख अपनाना चाहिए।



निष्पक्षता (Impartiality)

- * सम्मानजनक व्यवहार : महिला पक्षकार, गवाह, अधिवक्ता, या कर्मचारी को अन्य सभी के समान सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त होगा।
- * गोपनीयता और सुरक्षा : उनकी गोपनीयता और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इन-कैमरा (बंद कमरे में) कार्यवाही का प्रावधान।



जवाबदेही (Accountability)

- * अनुशासनात्मक कार्रवाई: उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार की घटना पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- * त्वरित निवारण : शिकायतों का निवारण गोपनीय, निष्पक्ष, और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

निष्कर्ष: न्यायालय परिसर के भीतर हर महिला की गरिमा सुरक्षा, और सम्मान सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य दायित्व है।

आदेशानुसार